

बजट 2024-25 में प्रमुख आर्थिक सुधार

प्रलम्बित के लिये:

[एंजेल टैक्स](#), [स्टार्ट-अप](#), [धन शोधन नविवरण अधिनियम](#), [भारतीय टेक स्टार्टअप फंडिंग रिपोर्ट 2023](#), [समानीकरण शुल्क](#), [ई-कॉमर्स](#), अनवासी डजिटल कंपनियों, [OECD/G20 इनक्यूबेसिवि फ्रेमवर्क](#), [केंद्रीय बजट 2024-25](#), [दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ](#), [MSME](#), [मुद्रा ऋण](#)

मेन्स के लिये:

[पूंजी बाजार](#), [सरकारी बजट](#), राजकोषीय नीतिका प्रभाव

[स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस](#)

चर्चा में क्यों?

[केंद्रीय बजट 2024-25](#) में [एंजेल टैक्स](#), [ई-कॉमर्स](#) पर [समानीकरण शुल्क](#), पूंजीगत लाभ और [प्रतभूति लेन-देन कर \(STT\)](#) के अनुप्रयोग सहित [MSME](#) क्षेत्र से संबंधित कई परिवर्तन किये गए हैं।

उद्योग के संबंध में बजट में प्रमुख परिवर्तन क्या हैं?

- **एंजेल टैक्स:** सरकार ने केंद्रीय बजट 2024-25 में एंजेल टैक्स को समाप्त करने की घोषणा की है।
 - एंजेल टैक्स वह कर है जो [असूचीबद्ध कंपनियों](#) द्वारा ऑफ-मार्केट लेनदेन में शेयर जारी करके जुटाई गई धनराशि पर चुकाया जाना चाहिये, यदि वह कंपनी के उचित बाजार मूल्य से अधिक हो।
 - एंजेल टैक्स को वर्ष 2012 में [आयकर अधिनियम, 1961](#) के माध्यम से शुरू किया गया था, जिसका उद्देश्य स्टार्टअप्स में निवेश के माध्यम से होने वाले धन शोधन पर न्यंत्रण रखना था।
- **समानीकरण शुल्क:** सरकार ने वस्तुओं और सेवाओं की ई-कॉमर्स आपूर्ति पर लगाए जाने वाले 2% समानीकरण शुल्क को वापस लेने का निर्णय लिया है।
 - हालाँकि, ऑनलाइन वजिआपन जैसी वशिष्ट डजिटल सेवाओं के लिये [वित्त अधिनियम, 2016](#) के अंतर्गत 6% समानीकरण शुल्क लागू रहेगा।
 - अप्रैल 2020 में भारत ने अनवासी ई-कॉमर्स ऑपरेटरों द्वारा ई-कॉमर्स आपूर्ति सेवाओं से प्राप्त किये जाने वाले राजस्व पर 2% समानीकरण शुल्क लगाया।
 - समानीकरण शुल्क का उद्देश्य उन [वदेशी कंपनियों](#) पर कर लगाना है, जिनका भारत में महत्वपूर्ण स्थानीय ग्राहक आधार है, लेकिन वे देश की कर प्रणाली से अलग-थलग हैं।
 - इस शुल्क से प्रमुख अमेरिकी डजिटल कंपनियों प्रभावित हुई हैं, जिसके कारण वाशिंगटन ने लगभग 55 मिलियन अमेरिकी डॉलर के करों की भरपाई के लिये प्रतिक्रियास्वरूप कई भारतीय उत्पादों पर 25% तक का आयात शुल्क लगाने का प्रस्ताव रखा है।
 - नवंबर 2021 में भारत और अमेरिका ने [OECD/G20 इनक्यूबेसिवि फ्रेमवर्क टू-पलर सॉल्यूशन](#) के तहत अर्थव्यवस्था के डजिटलीकरण से उत्पन्न कर चुनौतियों का समाधान करने पर सहमत वियक्त की, जिसके परिणामस्वरूप प्रतशोधनात्मक शुल्कों को नलिंबति कर दिया गया।
- **पूंजीगत लाभ और प्रतभूति लेनदेन कर (STT) पर कराधान में वृद्धि:**
 - बजट 2024 में [दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ](#) नरिधारित करने के नयिमें को संशोधित किया गया है, जिससे [वभिन्न प्रकार की पूंजीगत परसिंपत्तियों](#) हेतु होल्डिंग पीरियड में बदलाव किया गया है जो [अल्पकालिक](#) या [दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ](#) के लिये योग्य हैं।
 - अब केवल दो होल्डिंग पीरियड होंगे: [अल्पकालिक के लिये 12 महीने](#) और [दीर्घकालिक के लिये 24 महीने](#), ताकयिह नरिधारित किया जा सके कि परसिंपत्तियों से प्राप्त पूंजीगत लाभ अल्पकालिक है या दीर्घकालिक।
 - हालाँकि, सभी [सूचीबद्ध परसिंपत्तियों](#) का प्रस्तावित होल्डिंग पीरियड (दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ हेतु अरहता प्राप्त करने के लिये) 12 महीने है।
 - अन्य सभी परसिंपत्तियों के संदर्भ में लाभ को दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ के रूप में शामिल करने के लिये होल्डिंग पीरियड 24 महीने होगा।

- सूचीबद्ध इक्विटी और इक्विटी-उन्मुख म्यूचुअल फंड पर पूंजीगत लाभ के लिये छूट सीमा 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 1.25 लाख रुपए प्रति वर्ष कर दी गई है।
- सूचीबद्ध इक्विटी शेयरों और इक्विटी म्यूचुअल फंड को छोड़कर सभी परसिंपत्तियों से प्राप्त अल्पकालिक पूंजीगत लाभ पर नविशक की कर स्लैब दरों के अनुसार कर लगाया जाएगा।
 - कर स्लैब से इतर इक्विटी शेयरों और इक्विटी म्यूचुअल फंड पर अल्पकालिक पूंजीगत लाभ कर की दर बढ़ाकर 20% कर दी गई है।
- प्रतभूतियों के फ्यूचर और ऑप्शन (F&O) पर STT को दोगुना कर दिया गया है। फ्यूचर्स के लिये STT को बढ़ाकर 0.02% और ऑप्शन के लिये इसे बढ़ाकर 0.1% कर दिया गया है।
 - ऑप्शन और फ्यूचर्स दो प्रकार के डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट हैं जो अंतरनहिति इंडेक्स, प्रतभूतिया कमोडिटी के लिये बाज़ार की गतिविधियों से अपना मूल्य प्राप्त करते हैं।
 - ऑप्शन, करता को अनुबंध की समयावधि के दौरान किसी भी समय किसी वशिष्ट मूल्य पर परसिंपत्त खरीदने (या बेचने) का अधिकार देता है, लेकिन इसमें दायित्व/बाध्यता नहीं है।
 - फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, खरीदार को एक वशिष्ट परसिंपत्त खरीदने और विक्रेता को एक वशिष्ट फ्यूचर डेट पर उस परसिंपत्त को बेचने तथा वतिरति करने के लिये बाध्य करता है।
- MSME के लिये नया मूल्यांकन मॉडल और ऋण योजनाएँ:
 - MSME के लिये नया ऋण मूल्यांकन मॉडल:
 - सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (PSB) को परसिंपत्तियों या टर्नओवर जैसे पारंपरिक मानदंडों के बजाय डिजिटल फुटप्रिंट के आधार पर MSME ऋण पात्रता का आकलन करने की आवश्यकता है।
 - इसमें वे MSME भी शामिल होंगे जिनके पास औपचारिक लेखा प्रणाली नहीं है।
 - मुद्रा ऋण सीमा में वृद्धि:
 - मुद्रा ऋण सीमा 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 20 लाख रुपए कर दी गई है, और जिन उद्यमियों ने पिछले 'तरुण' श्रेणी के ऋणों को सफलतापूर्वक चुकाया है, वे बढ़ी हुई सीमा के लिये पात्र हैं।
 - TReDS प्लेटफॉर्म पर अनविरय ऑनबोर्डिंग:
 - व्यापार प्राप्त छूट प्रणाली/ट्रेड रसिबेबल्स डिसकाउंटिंग सिस्टम (TReDS) प्लेटफॉर्म पर अनविरय ऑनबोर्डिंग के लिये टर्नओवर सीमा 500 करोड़ रुपए से घटाकर 250 करोड़ रुपए कर दी गई है।
 - इस कदम से 22 और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम (CPSE) और 7,000 अतिरिक्त कंपनियाँ इस प्लेटफॉर्म पर आ जाएँगी, जिससे MSME के लिये चलनधि और कार्यशील पूंजी की पहुँच बढ़ेगी।
 - SIDBI शाखाओं का वसितार:
 - भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (SIDBI) द्वारा प्रमुख MSME क्लस्टरों में नई शाखाएँ खोली जाएँगी, इस वर्ष 24 शाखाएँ जोड़ी जाएँगी और तीन वर्षों के भीतर 242 क्लस्टरों में से 168 को कवर करने का लक्ष्य है।

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना

- PMMY (वर्ष 2015 में प्रारंभ की गई) छोटे व्यवसाय उद्यमों के लिये 10 लाख रुपए तक के गारंटी-मुक्त संस्थागत ऋण प्रदान करती है।
- अनुसूचित वाणज्यिक बैंक (SCB), क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (RRB), गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ (NBFC) और सूक्ष्म वित्त संस्थान (MFI) द्वारा वित्तपोषण प्रदान किया जाता है।
- PMMY के तहत तीन ऋण उत्पाद हैं:
 - शशि (50,000 रुपए तक का ऋण)
 - कशोर (50,000 रुपए से 5 लाख रुपए के बीच का ऋण)
 - तरुण (5 लाख रुपए से 10 लाख रुपए के बीच का ऋण)

ट्रेड रसिबेबल्स डिसकाउंटिंग सिस्टम (TReDS)

- कई वित्तपोषकों के माध्यम से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSME) को व्यापार प्राप्तियों के वित्तपोषण/छूट की सुविधा प्रदान करने के क्रम में TReDS एक इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म है। ये प्राप्तियाँ कॉर्पोरेट और अन्य खरीदारों द्वारा देय हो सकती हैं, जिनमें सरकारी विभाग और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम शामिल हैं।

हाल के बदलावों के क्या नहितार्थ हैं?

- एंजेल टैक्स:
 - एंजेल टैक्स को समाप्त करने से भारतीय स्टार्ट-अप इकोसिस्टम को मजबूती मिलेगी, उद्यमशीलता की भावना को बढ़ावा मिलेगा और नवाचार को बढ़ावा मिलेगा।
 - एंजेल टैक्स को खत्म करने से अधिक विदेशी नविशकों को आकर्षित करने और स्टार्ट-अप के लिये आवश्यक पूंजी उपलब्ध कराने की उम्मीद है।
 - Inc42 की भारतीय टेक स्टार्टअप फंडिंग रिपोर्ट 2023 के अनुसार, वर्ष 2023 में स्टार्ट-अप फंडिंग 60% घटकर 10

(d) 1, 2 और 3

उत्तर: (d)

प्रश्न. सरकार के समावेशी वृद्धि लक्ष्य को आगे ले जाने में निम्नलिखित में से कौन-सा/से कार्य सहायक साबित हो सकता/सकते है/हैं? (2011)

1. स्व-सहायता समूहों (सेल्फ-हेल्प ग्रुप्स) को प्रोत्साहन देना ।
2. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को प्रोत्साहन देना ।
3. शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू करना ।

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये:

- (a) केवल 1
- (b) केवल 1 और 2
- (c) केवल 2 और 3
- (d) 1, 2 और 3

उत्तर: (d)

??????:

प्रश्न. क्या क्षेत्रीय-संसाधन आधारित वननिर्माण की रणनीति भारत में रोजगार को बढ़ावा देने में मदद कर सकती है? (2019)

PDF Reference URL: <https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/key-economic-reforms-in-the-budget-2024-25>

